सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 23.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में, पवीन प्रकाश क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण व सन्तोष कुमार तिवारी प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ के नेतृत्व में आज दिनांक 23.09.2025 को थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा वाद सं0 2266/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम से संबन्धित एक नफर वारन्टी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार वारण्टी का विवरण-

01.राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामवृक्ष निवासी मुड़िला खुर्द थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

1.उ0नि0 रामबदन यादव थाना शोहरतगढ जनपद सिद्धार्थनगर।
2.हे0का0 दिनेश कुमार थाना शोहरतगढ जनपद सिद्धार्थनगर।
3.का0 प्रभाकर यादव थाना शोहरतगढ जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 23.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

थाना उसका बाजार पुलिस द्वारा एक नफर वारण्टी को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

डॉ. अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में व विश्वजीत सौरयान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में हरेकृष्ण उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक उसका बाजार के नेतृत्व में आज दिनांक 23.09.2025 को थाना उसका बाजार पुलिस द्वारा वाद संख्या 419/2002 मु0अ0स0 22/96 धारा 324/323/504 भा0द0वि0 से सम्बन्धित 01 नफर वारन्टी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार वारण्टी का विवरण-
01.रामअवध पुत्र मोती निवासी लक्षनपुर थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-
1.उ0नि0 अरविन्द कुमार द्विवेदी थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।
02.मु0आ0 हरेंद्र कुमार, अनिल चौहान थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 23.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन ने जनता दर्शन में आये फरियादियों की समस्याएं/शिकायतों को सुना।

आज दिनांक 23.09.2025 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ0 अभिषेक महाजन द्वारा पुलिस कार्यालय मे जनसुनवाई किया गया। जनसुनवाई मे कुल 11 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जिसमे 02 मारपीट, 02 पारिवारिक विवाद व 07 अन्य विवाद से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र थें। प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु संबंधित को आदेशित किया गया।

सराहनीय कार्य/प्रेस नोट दिनांक 23.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆थाना खेसरहा व सर्विलांश सेल टीम द्वारा थानाक्षेत्र के ग्राम गेंगटा के पास खेत में वृद्ध की निर्मम हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना मे संलिप्त 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा घटना मे प्रयुक्त आला क़त्ल अभियुक्त का जूता व पत्थर आदि बरामद किया गया।

दिनांक 19/20.09.2025 की रात्रि में थाना खेसरहा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गेंगटा के पास खेत मे शिवपूजन लोधी पुत्र झिंगुर निवासी कोटिया पाण्डेय थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर की अज्ञात व्यक्तियो द्वारा निर्मम हत्या कर दी गयी थी। घटनास्थल पर फोरेन्सिक टीम सिद्धार्थनगर व सर्विलांस सेल टीम के सहयोग से साक्ष्य संकलन करते हुए उक्त मृतक के शव को कब्जा पुलिस लेकर पंचायतनामा/पोस्टमार्टम की कार्यवाही करायी गयी थी। इस सूचना पर उच्चाधिकारीगणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उक्त घटना के संबन्ध में थाना खेसरहा पर कविता पुत्री शिवपूजन के लिखित तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0 159/2025 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु प्रशान्त कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन व मंयक द्विवेदी, क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल पर्यवेक्षण में सर्विलांस सेल टीम सिद्धार्थनगर व थानाध्यक्ष खेसरहा पुलिस की संयुक्त टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा उच्चकोटि की पतारसी, सुरागरसी करते हुये वैज्ञानिक/इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का संकलन किया गया, साक्ष्यों के आधार पर घटना कारित करने वाले प्रकाश मे आये अभियुक्त मनोज पुत्र ब्रम्हा व कविता पत्नी मनोज निवासीगण कोटिया पाण्डेय थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को दिनांक 23.09.2025 को ग्राम कुड़जा से गिरफ्तार कर कडाई से पूछताछ किया गया जिन्होने जुर्म स्वीकार करते हुए सम्पत्ति न मिलने व मृतक द्वारा पुनः दुसरी पत्नी लाने की आशंका के कारण हत्या करना बताये तथा अभियुक्तो की निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त आला क़त्ल अभियुक्त का जूता व पत्थर बरामद करते हुये उक्त सनसनीखेज घटना का सफल अनावरण किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्ता कविता व अभियुक्त मनोज द्वारा पूछताछ में बताया कि मृतक शिवपूजन पुत्र झींगुर निवासी कोटिया पाण्डेय मेरे पिता व मेरे ससुर थे। मृतक शिवपूजन की पत्नी सुराती देवी मृतक से शादी के समय कविता को अपनी गोद मे लेकर आयी थी मृतक को पुत्री कविता के अलावा दुसरी पुत्री सरिता उम्र करीब 11 वर्ष जो मृतक से पैदा हुई थी जो अर्धविक्षिप्त है तथा बोल नही पाती है। सुराती देवी की मृत्यु करीब 1 वर्ष पहले हो चुकी है। अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि मृतक शिवपूजन अपनी सम्पत्ति अपने पुत्री कविता व दामाद मनोज को नही देना चाहता था व दुसरी महिला लाने की फिराक मे था तथा ग्राम कोटिया पाण्डेय मे स्थित मकान व जमीन बेचना चाहते थे। जिसके संबंध मे दिनांक 19.09.2025 को कविता व मनोज मृतक शिवपूजन के पास खेत मे जहा शिवपूजन अपने मचान पर रहकर खेत की रखवाली व सब्जी की खेती करते थे। समय करीब 09.00 बजे रात को पहुचकर जमीन न बेचने व दुसरी महिला न

लाने के संबंध मे बातचीत करने लगे तथा अपने पिता की सेवा व देखभाल की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की बात करने लगे परन्तु मृतक शिवपूजन नाराज होकर कविता व मनोज को डांट कर भगाते हुए गांव के मकान बेचने व दुसरी महिला लाने की जिद करने लगा। इसी बात से नाराज होकर अभियुक्तगण मृतक की पुत्री कविता व दामाद मनोज द्वारा मृतक शिवपूजन की हत्या कर दी गई। ताकि सम्पत्ति का वारिसान कविता हो जाये और मृतक की संपत्ति का पुत्री व दामाद उपभोग कर सके।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

01. मनोज पुत्र ब्रम्हा निवासी कुड़जा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

02. कविता पत्नी मनोज निवासी कुड़जा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी का विवरण-

01.घटना मे प्रयुक्त आला क़त्ल (जूता व पत्थर) बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01.अनुप कुमार मिश्र थानाध्यक्ष खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

02. हरेन्द्र चौहान प्रभारी सर्विलांस जनपद सिद्धार्थनगर ।

03. उ0नि0 राघवेन्द्र प्रताप यादव थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

04.मु0आ0 जनार्दन, विवेक, का0 पुष्पेन्द्र , अभिनन्दन, संजीव गोयल सर्विलांस टीम सिद्धार्थनगर।

05. हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 चन्दन सिंह, म0का0 ज्योति तिवारी थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 23.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना खेसरहा पुलिस की प्रभावी पैरवी से एक्सीडेण्ट के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 1250/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 15-09-2025 को वाद सं0 4777/2022 मु0अ0सं0 43/2022 धारा- 279,304(a) भादवि0 थाना खेसरहा मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री पंकज जे0एम0 बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त शिवम निवासी मझगांवा तरैनी थाना महुली जनपद सन्तकबीर नगर को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 1250/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश्वर प्रसाद थाना खेसरहा का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 23.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना खेसरहा पुलिस की प्रभावी पैरवी से मार पीट के 03 आरोपीयों को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 750/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 13-09-2025 को वाद सं0 2172/2022 मु0अ0सं0 72/2021 धारा- 323,504 भादवि0 थाना खेसरहा मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री पंकज जे0एम0 बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्तगण 01-श्यामधर यादव पुत्र रामदास, 2-पप्पू यादव पुत्र रामबहाल, 3-कमलेश यादव पुत्र श्यामबहार निवासीगण कोटिया पाण्डेय थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 750/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश्वर प्रसाद थाना खेसरहा का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 23.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना मिश्रौलिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से मार पीट के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 1500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 16-09-2025 को वाद सं0 1109/2017 मु0अ0सं0 95/2015 धारा- 323,504 भादवि0 थाना मिश्रौलिया में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री पंकज जे0एम0 बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त रामकुमार उर्फ कुमार पुत्र सुखराम निवासी मिहकवा थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 1500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी धिरज यादव थाना मिश्रौलिया का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट- दिनांक 23.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा त्यौहार नवरात्रि/दुर्गा पूजा, दशहरा/विजयदशमी तथा नेपाल राष्ट्र में आंदोलन/हिंसा के दृष्टिगत व शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना शोहरतगढ़ पुलिस के साथ शोहरतगढ़ बाजार मे पैदल गश्त/रुट मार्च किया गया।

डॉ0 राजा गणपति आर. जिलाधिकारी जनपद सिद्धार्थनगर के साथ डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के द्वारा द्वारा आज दिनांक 23.09.2025 को प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर व क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ मय PAC टीम के साथ त्यौहार नवरात्रि/दुर्गा पूजा, दशहरा/विजयदशमी तथा नेपाल राष्ट्र में आंदोलन/हिंसा के दृष्टिगत व शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु शोहरतगढ़ बाजार मे पैदल गश्त/रुट मार्च किया गया तथा आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास कराया गया तथा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

प्रेस नोट- दिनांक 23.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा त्यौहार नवरात्रि/दुर्गा पूजा, दशहरा/विजयदशमी तथा नेपाल राष्ट्र में आंदोलन/हिंसा के दृष्टिगत व शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना ढ़ेबरुआ पुलिस के साथ कस्बा बढ़नी में पैदल गश्त/रुट मार्च किया गया।

डॉ0 राजा गणपति आर. जिलाधिकारी जनपद सिद्धार्थनगर के साथ डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के द्वारा दिनांक 23.09.2025 को प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर मय PAC टीम के साथ त्यौहार नवरात्रि/दुर्गा पूजा, दशहरा/विजयदशमी तथा नेपाल राष्ट्र में आंदोलन/हिंसा के दृष्टिगत व शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना ढ़ेबरुआ के कस्बा बढ़नी मे पैदल गश्त/रुट मार्च किया गया तथा आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास कराया गया तथा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

प्रेस नोट- दिनांक 23.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर पुलिस कर्मियों को मिला सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण।

डॉ. अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 23-09-2025 को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर, सिद्धार्थनगर पुलिस के अधिकारी/कर्मचारीगण को सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन लोहिया कला भवन में हुआ, जिसका उद्देश्य पुलिस कर्मियों को मूक-बधिर लोगों के साथ बेहतर संवाद करने में सक्षम बनाना था। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशों पर आयोजित किया गया। इसमें पुलिस कर्मियों को सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण दिया गया। यह पहल RPWD Act 2016 और अंतर्राष्ट्रीय आदेशों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य पुलिस सेवाओं को और अधिक समावेशी बनाना है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से पुलिसकर्मी अब मूक-बधिर लोगों की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और उनकी मदद कर सकेंगे।